NOTICE

From:

Mr. Mallika Mazumdar
Advocate for the Petitioner.
House of ~~lords~~ Advocates'
Association. 9321715173
Phone:-[redacted], 9431047850.

To,

The advocate General,
Bihar, Patna.

Cr.Misc/CWJC/~~MJC~~.NO. __________ OF 2015

[illegible] Singh .... **Petitioner**

Versus.

The state of Bihar. & Ors .... ~~O.P.~~/**Respondents**.

Sir,

Please take notice that the above noted case is being filed before this Hon'ble court and a copy of the same is attached herewith for your use and information.

Kindly acknowledge the receipt.

Received a Notice/ a copy
Petition..........................
Shri..........Ajeet Kumar..........
Will appear on behalf of the State

SC 28

Section Officer/Receiving in-charge
Advocate General Office
Patna High Court, Patna
14/7/2015

Advocate for the petitioner.
A.O.R No. 03636
10/07/2015

SC28
14/7/015

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. of 2015.

Murlidhar Singh. ...... Petitioner.

Versus

The State of Bihar and Ors. .... Respondents.

S Y N O P S I S

Prayer:- That this writ application is being filed for revision of .

Date and Facts;

That the petitioner retired on 28.2.1985 from the same post Assistant Teacher.

That the petitioner is getting less amount of pension than he should get.

Representations were filed but to no aval.

Hence, this writ application.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. of 2015.

Murlidhar Singh. ...... Petitioner.

Versus

The State of Bihar and Or. ...... Respondents.

Sub.:- Post Retiral Scoll. Service matter.

I N D E X

Sl.no.		Particulars.	Page nos.
1.		An application with affidavit.	1 to 7
2.	**Annexure-1**.	A photo state copy of the memo no. 493 dt. 13.2.61.	8.00
3.	**Annexure-2**.	A photo stat copy of the bank account.	9 - 10
4.	**Annexure-3**.	A photo stat copy of the Resolution no.820 dt. 23.9.09.	11 - 14
5.	**Annexure-4**.	A photo stat copy of the representation.	15 - 16
6.		**Vakalatnama**.	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. of 2015.

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India.

And

In the matter of ;

Murlidhar Singh, S/o Late Jatadhari Singh.

R/o Vill.- Bhaddi, Post - Bhaddi, Surgapur,

P.S.- Pathar Ghat District- Saharsa.

.... Petitioner.

Versus

1. The State of Bihar through its Chief Secretary, Bihar, Patna.

2. Finance Commissioner, Old Secretariat, Bihar, Patna.
3. Accountant General, Bihar, Patna.
4. Chairman, State Bank of India, Nirman Point, Mumbai.
5. General Manager, State Bank of India, Gandhi Maidan, Bihar, Patna
6. Collector, Madhepura.
7. Chief Manager, Central Pension Processing Centre, Judges Court, Patna.
8. State Bank of India, Main Branch, Madhepura

.... Respondents.

To,

The Hon'ble Mr. Justice L. Narasimha Reddy, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and his companion Justice of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner above name.

Most Respectfully Sheweth ;

1. That this writ of mandamus is being filed for a direction upon the Respondent authorities for revision of pension. That the petitioner is getting for less amount than what it is admissible to him. That the petitioner is entitled to more Rs. 18,000 p.m.
2. That the petitioner is a citizen of India and resides within the territorial jurisdiction of this Hon'ble Court.
3. That the moot points involved in this writ application are :-

   (a) Whether the respondent authorities acting and arbitrary illegal and malafide by not revising the pension of the petitioner ?

4. That the petitioner retired from the post of Assistant teacher on 28.2.1985 and his P.P.O. bearing No.135126 by Accountant General .
5. That the petitioner was matric trained teacher as per District Superintendent Education, Saharsa Memo No. 493 dt. 13.2.1961.

A photo stat/typed copy of the Memo No.493 dt. 13.2.61 is attached herewith and marked as Annexure-I to this petition.

6. That the petitioner is getting pension at the rate of rupees 7445 p.m. from his bank Account No.11424807772 from SBI Madhepura.

A photo stat copy of the bank account is attached herewith and marked as Annexure-2 to this petition.

7. That as per Finance Department resolution N.820 dt. 23.9.2009 para 2 that the petitioner should not got less than 50% of matric trained revised scale i.e. 9300 + 4200 = 6750 as initial pension + additional pension after 80 years at the rate of 20% and after 85 years at the rate of 30% .

A photo stat/typed copy of the resolutionNo.820 dt. 23.9.09 is attached herewith and marked as Annexure-3 to this petition.

8. That after calculation of the pension in revised rate w.e.f. 1.4.2007 dearness relief and medical allowance is also admissible to the petitioner as per government circular.

9. That the petitioner filed several representations.

A photo stat copy of the representation is annexed hereto and marked as Annexure- 4 to this petition.

10. That the petitioner is very old and even after giving representation the respondent authorities are sitting tight over the matter.

11. That the petitioner has got no other equally speedy and efficacious remedy than this writ.

12. That the petitioner has never moved before this Hon'ble Court for the same relief

It is, therefore, humbly prayed that your lordships may graciously be pleased to admit this writ application, issue Rule NISI, calling upon the parties as to why relief prayed be not granted and after hearing the parties, make the rule absolute in terms.

And

May pass any such other order or orders as your lordships may deem fit and proper in this facts and circumstances of this case.

And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Murlidhar Singh, aged about 89 years, S/o- Late Mahabir Pd. Singh, R/o Vill.- Bhaddi, Post- Bhaddi Durgapur, P.S.- Pathar Ghar, District- Saharsa, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am Petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of this case.

2. That I have gone through the contents of this petition and I have fully understood the same.

3. That the statements made in paragraphs no. 1,3,5 – – 7,9,11, —— are true to my knowledge and those made in Para Nos. 2,4,6,8,10,12 are true to my information, which have been derived from the records of the case and the rest are by way of submission before this Hon'ble Court.

4. That the Annexure is true photo copy of their respective originals.

ANNEXURE - 1

(8)

कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक, सहरसा ।

श्री/श्रीमति -------------------- योग्यता -------------- ग्राम -------------- पत्रालय -------------- जिला -------------- को -------------- स्कूल -------------- अंचल -------------- शिक्षक -------------- के स्थान पर अस्थायी रुप में -------------- वेतन मान् तथा स्वीकृत मंहगी भत्ते पर नियुक्त किया जाता है। ये पत्र प्राप्ति के १५ दिनों के अन्दर नये पद पर पदारुढ़ हो जांय अन्यथा नियुक्ति की मान्यता नहीं रहेगी ,। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उचित श्रोत से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भेजें। सम्बन्धित विद्यालय अवर निरीक्षक कृपया नियुक्त शिक्षक की योग्यता एंव उम्र के मौलिक प्रमाणपत्र स्वंय जाँच कर उसकी सत्यापित प्रति प्रथम प्राप्यक के साथ भेजते समय प्राप्यक पर नियुक्ति पत्र संख्या तथा योगदान की तिथि समय के साथ अंकित करेंगे ।

नियुक्त शिक्षक योगदान के तीन माह के अन्दर सेवा पुस्तिका की दो प्रतियाँ खुलवा लेंगे। एक प्रति वे अवर निरीक्षक द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भेजेंगे और दूसरी प्रति अवर निरीक्षक के कार्यालय में रहेगी ! जो इस अवधि में सेवापुस्तिका समर्पित नहीं करेंगे उनका वेतन उक्त अवधि के बाद बन्द हो जायगा ।

जिला शिक्षा अधीक्षक,
सहरसा ।

ज्ञाप संख्या ---८४३--- / सहरसा, दिनांक १३/२ १९६९

प्रतिलिपि --------------------

को सूचनार्थ ~~प्रेषित~~ एंव उचित कार्यार्थ प्रेषित ।

जिला शिक्षा अधीक्षक,
सहरसा ।

A-2 (9)

Generally used abbreviations

A/c = Account	dep = Deposit	Pr = Principal
Adj = Adjustm	Dft = Draft	proc = Processing Charge
Amt = Amoun	dsh/dsh = Dishonour	rd = Recurring Deposit
Ar = Arrear	Dr = Debit	ret/rtn = Return
bal = Balance	DOB = Date of Birth	Rnd = Round of
Capn = Capitalization	eft = Electronic Fund Transfer	sb = Savings Bank
chg/ch = Charge	inop = Inoperative	SC = Short Credit
chq = Cheque	Ins = Insurance	SI/So/SORD = Standing Instruction
Clos = Closure	int/in = Interest	S/D/W/H/o=Son/Daughter/Wife/Husbandof
coll = Collection	lon/ln = Loan	tr/trf/xfer = Transfer
comm = Commission	min = Minimum	TT = Telegraphic Transfer
COR/CORR = Correction	os = Outstanding	txn = Transaction
CR = Credit	P & T = Postage & Telegram	Wdl = Withdrawal
csh = Cash	Pos = Point of sale	+MOD bal=total balance (SB+linked MOD a/c)

In continuation.

भारतीय स्टेट बैंक

State Bank of India

Savings Bank Account
CIF No : 81163279958
Account No : 11424807772
Customer Name: MURLIDHAR SINGH

MADHIPURA
STATE BANK ROAD

S/D/W/H/o:
Address:C/O BANK MAIN BRANCH
MAIN BRANCH MADHIPURA
MADHEPURA
Phone: 0
Email:
D.O.B. (If Minor):
MOP.:SINGLE
Nom. Reg. No.:

Phone:222033
Email:sbi.00126@sbi.co.in
Branch Code:126
Date of Issue:24/08/2011
24/08/2011 6643604 126
CONTINUATION

शाखा प्रबंधक
Branch Manager

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
				Brought Forward	1246.81Cr
29.12.14	BY PEN DEC.14 (TDS000000) PEN 04476 0012			7445.00	8691.81Cr
28.01.15	BY PEN JAN,15 (TDS000000) PEN 04476 0012			7445.00	16136.81Cr
25.02.15	BY PEN FEB.15 (TDS000000) PEN 04476 0012			7445.00	23581.81Cr
02.04.15	BY PEN MAR.15 (TDS000000) PEN 04476 0012			7445.00	31026.81Cr
28.04.15	BY PEN APR.15 (TDS000000) PEN 04476 0012			7445.00	38471.81Cr
29.05.15	CASH WDL SELF		35000.00		3471.81Cr

A-2

Generally used abbreviations

A/c Account	dep = Deposit	Pr = Principal
Adj = Adjustm	Dft = Draft	proc = Processing Charge
Amt = Amoun	dsh/dsh = Dishonour	rd = Recurring Deposit
Ar = Arrear	Dr = Debit	ret/rtn = Return
bal = Balance	DOB = Date of Birth	Rnd = Round of
Capn = Capitalization	eft = Electronic Fund Transfer	sb = Savings Bank
chg/ch = Charge	inop = Inoperative	SC = Short Credit
chq = Cheque	ins = Insurance	SI/So/SORD = Standing Instruction
Clos = Closure	int/in = Interest	S/D/W/H/o=Son/Daughter/Wife/Husbandof
coll = Collection	lon/ln = Loan	tr/trf/xfer = Transfer
comm = Commission	min = Minimum	TT = Telegraphic Transfer
COR/CORR = Correction	os = Outstanding	txn = Transaction
CR = Credit	P & T = Postage & Telegram	Wdl = Withdrawal
csh = Cash	Pos = Point of sale	+MOD bal=total balance (SB+linked MOD a/c)

In continuation.

भारतीय स्टेट बैंक — State Bank of India

Savings Bank Account
CIF No : 81163279958
Account No : 11424807772
Customer Name: MURLIDHAR SINGH

S/D/W/H/o:
Address:C/O BANK MAIN BRANCH
MAIN BRANCH MADHIPURA
MADHEPURA
Phone: 0
Email:
D.O.B. (If Minor):
MOP.:SINGLE
Nom. Reg. No.:

MADHIPURA
STATE BANK ROAD

Phone:222033
Email:sbi.00126@sbi.co.in
Branch Code:126
Date of Issue:24/08/2011
24/08/2011 6643604 126
CONTINUATION

शाखा प्रबंधक
Branch Manager

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
				Brought Forward	1246.81Cr
29.12.14	BY PEN DEC.14 (TDS000000) PEN 04476 0012			7445.00	8691.81Cr
28.01.15	BY PEN JAN,15 (TDS000000) PEN 04476 0012			7445.00	16136.81Cr
25.02.15	BY PEN FEB.15 (TDS000000) PEN 04476 0012			7445.00	23581.81Cr
02.04.15	BY PEN MAR.15 (TDS000000) PEN 04476 0012			7445.00	31026.81Cr
28.04.15	BY PEN APR.15 (TDS000000) PEN 04476 0012			7445.00	38471.81Cr
20.05.15	CASH WDL SELF		35000.00		3471.81Cr

दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन/पारिवारिक पेंशनधारियों के पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति

ज्ञापांक - वि०-27/पे०को०-137/2008-820

बिहार सरकार, वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 23-09-2009

विषय : दिनांक 01.01.2006 के पूर्व राज्य सरकार के पेंशनधारियों को केन्द्रीय पेंशनधारियों की भाँति षष्ठम् वेतन पुनरीक्षण आयोग की अनुशंसा के आलोक में दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन की स्वीकृति के संबंध में।

1. षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/08-P&PW(A) दिनांक 01.09.2008 द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनधारियों के पेंशन पुनरीक्षण संबंधी आदेश निर्गत किया है। उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अपने सेवीवर्ग के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रावधानों में केन्द्र सरकार के तत्संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए निम्नरूप से पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया गया है :-

2. **दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनधारियों/ पारिवारिक पेंशनधारियों के पेंशन का पुनरीक्षण :**

   (i) प्रभाव की तिथि : इस कोटि के पेंशनधारियों का पेंशन 01.01.2006 के प्रभाव से वैचारिक रूप से पुनरीक्षित किया जाएगा तथा पुनरीक्षण का आर्थिक लाभ 01.04.2007 के प्रभाव से भुगतेय होगा। 01.04.2007 के पूर्व की अवधि के लिए बकाया का भुगतान नहीं किया जायेगा।

   (ii) परिभाषा :

   (क) वर्तमान पेंशनधारी/ पारिवारिक पेंशनधारी से अभिप्रेत है दिनांक 31.12.2005 को पेंशन/ पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार पेंशनधारी/ पारिवारिक पेंशनधारी।

   (ख) 'वर्तमान पेंशन' से अभिप्रेत है दिनांक 31.12.2005 को प्राप्त मूल पेंशन की राशि जिसमें रूपान्तरित पेंशन की राशि भी सम्मिलित है।

   (ग) वर्तमान पारिवारिक पेंशन से अभिप्रेत है दिनांक 31.12.2005 को प्राप्त मूल पारिवारिक पेंशन की राशि।

(iii) 01.01.2006 को समेकित पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का निर्धारण

दिनांक 01.01.2006 को वर्तमान पेंशनधारियों/ पारिवारिक पेंशनधारियों के समेकित पेंशन का निर्धारण निम्नांकित राशियों को जोड़ कर किया जाएगा :

(1) वर्तमान पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की राशि,

(2) महंगाई पेंशन की राशि (यदि महंगाई पेंशन प्राप्त था),

(3) दिनांक 01.01.2006 को प्राप्त महंगाई राहत की राशि,

(4) फिटमेंट लाभ के रूप में वर्तमान पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत।

उपर्युक्त राशियों का योग दिनांक 01.01.2006 को पुनरीक्षित मूल पेंशन/ पारिवारिक पेंशन समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण :

01.01.2005 अथवा उसके बाद सेवानिवृत हुए पेंशनधारियों के मामले में वर्तमान पेंशन से महंगाई पेंशन की राशी हटा कर बची हुए राशी पर ही 40 प्रतिशत पुनरीक्षण लाभ की गणना की जाएगी।

(iv) दिनांक 01.01.2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनधारियों/ पारिवारिक पेंशनधारियों के पेंशन समेकन के लिए अनुलग्नक-I पर स्थित तालिका का प्रयोग किया जा सकता है।

(v)* पुनरीक्षित पेंशन की राशि सेवा निवृत्ति के समय पेंशनधारी को प्राप्त वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन बैण्ड के प्राम्भिक वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। इसी प्रकार, पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन की राशि मृत सरकारी सेवक/ पेंशनधारी को प्राप्त अंतिम वेतनमान के पुनरीक्षित वेतन बैण्ड के प्रारम्भिक वेतन तथा ग्रेड वेतन के योग के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी। किन्तु चूँकि अबतक पुनरीक्षित वेतनमान के संदर्भ में वेतन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, अत: इस कंडिका में वर्णित व्यवस्था का लाभ उक्त प्रतिवेदन के लागू होने के बाद ही देय होगा, जिसके लिए यथा समय आदेश निर्गत किया जाएगा।

(vi) जहाँ उपर्युक्त रीति से गणना की गई पुनरीक्षित पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की राशि 3,500 रुपये से कम होती है, वहाँ पुनरीक्षित पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की राशि 3,500 रुपये निर्धारित की जाएगी।

(vii) चूँकि उपर्युक्त रीति से पुनरीक्षित पेंशन में रूपान्तरित पेंशन की राशि सम्मिलित है, अत: पुनरीक्षित पेंशन की राशि से रूपान्तरित पेंशन की राशि घटाकर मासिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

(viii) **अतिरिक्त पेंशन :** 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के पेंशनधारियों को उपर्युक्त रीति से निर्धारित पेंशन के साथ-साथ निम्नांकित सारणी के अनुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

* **वित्त विभाग के ज्ञापांक संख्या 119 वि० दिनांक 08.02.2010 के अधीन उपर्युक्त औपबंधिक व्यवस्थाओं को नियमित मान लिया गया है।**

पेंशनधारी/ परिवार पेंशनधारी की उम्र	अतिरिक्त पेंशन की राशि
80 वर्ष एवं अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का 20%
85 वर्ष एवं अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का 30%
90 वर्ष एवं अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का 40%
95 वर्ष एवं अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का 50%
100 वर्ष या उससे अधिक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का 100%

(ix) **महंगाई राहत :** दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेंशन/ पारिवारिक पेंशन तथा अतिरिक्त पेंशन की राशि पर अनुलग्नक-2 पर स्थित तालिका के अनुसार महंगाई राहत देय होगी।

(x) **नियोजित/ पुनर्नियोजित पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों का पेंशन निर्धारण** - नियोजित/ पुर्नियोजित पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत भुगतान नहीं किया जाता है। उनके मामले में कंडिका 2 (iii) के अंतर्गत समेकित पेंशन के निर्धारण हेतु महंगाई राहत की उस राशि को शामिल किया जायेगा जो उन्हें नियोजित/ पुनर्नियोजित नहीं होने की अवस्था में प्राप्त होता, किन्तु नियोजन/ पुनर्नियोजन की अवधि में उन्हें महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(xi) **बकाया पेंशन/ पारिवारिक पेंशन** - पुनरीक्षित पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का आर्थिक लाभ 01.04.2007 के प्रभाव से दिया जायेगा। दिनांक 01.04.2007 से अगस्त 2009 तक के लिए बकाया पेंशन देय होगा और इसका भुगतान कंडिका 4 के अनुसार किया जायेगा।

3. **पुनरीक्षित पेंशन का मासिक भुगतान :** पुनरीक्षित पेंशन का मासिक भुगतान सितम्बर 2009 से आरम्भ किया जाएगा।

4. **बकाया पेंशन का भुगतान :** पेंशन/पारिवरिक पेंशन तथा महंगाई राहत की राशि के बकाया का भुगतान पूर्व में भुगतान किए गए पेंशन, महंगाई पेंशन तथा महंगाई राहत की राशि को समायोजित करते हुए तीन वार्षिक किश्तों में निम्न प्रकार से किया जाएगा-

वर्ष 2009-10	15 प्रतिशत
वर्ष 2010-11	40 प्रतिशत
वर्ष 2011-12	45 प्रतिशत

5. **भुगतान की प्रक्रिया**

(i) पेंशन भुगतान हेतु प्राधिकृत सभी बैंक / कोषागार / उप कोषागार उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान महंगाई राहत सहित

सितम्बर 2009 से आरम्भ करें। इसके अतिरिक्त वे 2009–10 में भुगतेय बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन की 15% राशि का भुगतान भी करेंगे।

(ii) पेंशन वितरण प्राधिकार द्वारा पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की प्रविष्टि पी०पी०ओ० के दोनों अर्द्धांशों मे की जायेगी और पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान की सूचना अनुलग्नक-3 के प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार को भेजी जायेगी ताकि वे अपने कार्यालय में संधारित पी०पी०ओ० पंजी को अद्यतन कर सके। पेंशन वितरण प्राधिकार महालेखाकार, बिहार के कार्यालय से अनुलग्नक-3 में भेजी गई सूचना की प्राप्ति रसीद ले लेंगे।

6. बिहार पेंशन नियमावली के संगत प्रावधान उपर्युक्त हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

7. जहाँ तक इस आदेश को पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/परिषद् कार्यालय से सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के प्रसंग में लागू करने का प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना, अध्यक्ष बिहार विधान सभा एवं सभापति बिहार विधान परिषद् की सहमति/परामर्श कर आदेश बाद में निर्गत किया जायेगा।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/- (भानु प्रताप शर्मा)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग

15

Annexure – IV

पत्रांक – 09

प्रेषक – श्री मुरलीधर सिंह सेवा निवृत शिक्षक,
धारक पी0 पी0 ओ0 संख्या 135126
खाता संख्या 11424807772
ग्राम– पत्रालय– भद्धी, थाना– पतरघट,
जिला– सहरसा (बिहार)

सेवा में,

शाखाप्रबंधक,
भारतीय स्टेट बैंक, मधेपुरा (00126)
जिला– मधेपुरा (बिहार)

विषय :– वित विभाग के संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.1.2010 के आलोक में पूरक पेंशन का अंतर राशि भुगतान के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :– आपका पत्रांक CM/226 दिनांक 25.2.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि श्री मुरलीधर सिंह सेवा निवृत शिक्षक धारक पी0पी0ओ0 संख्या 135126, खाता संख्या 11424807772 के जन्म तिथि 06.04.1945 आपके द्वारा अंकित कर अप्रैल 2025 में 80 वर्ष पूरा करने का लिखा गया है जो गलत अंकित किया गया है । जबकि विद्यालय परित्याग पत्र, मूल प्रमाण पत्र एवं महालेखाकार,पटना (बिहार) द्वारा निर्गत पेंशनर संभाग में अंकित जन्म तिथि 25.02.1927 है, जो सही है ।

इसके आधार पर फरवरी 2007 में 80 वर्ष की आयु प्राप्त होने के फलस्वरूप मो0 3500/– रूपये समेकित पेंशन का लाभ जोड़ते हुए (राहत एवं चिकित्सा भत्ता सहित) भुगतान होना चाहिए जो नहीं किया गया ।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि संलग्न कागजात के आधार पर पेंशन संशोधित करते हुए बकाया राशि का भुगतान करने की कृपा की जाए, ताकि इस अवस्था मों मुझे आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़े ।

विश्वास भाजन

निशान

मुरलीधर सिंह

05.012.2013

ग्राम– पत्रालय – भद्धी

थाना–पतरघट

जिला– सहरसा (बिहार)